निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022

प्रकरण सख्या 57/दावा/2020 तारीख दायरा 19.03.2020

उनवान

रोडीबाई पत्नी फुलचन्द जाति लोधा निवासी मनपसर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ --- वादनी

बनाम

1. हेमराज पिता मांगीलाल जाति लोधा निवासी मनपसर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0
2. मांगीलाल पिता प्रभुलाल जाति लोधा निवासी मनपसर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

------ प्रतिवादीगण

वाद धारा 183,188 राज0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक 24.06.2022

उपस्थित वकील वादनी -श्री पुरूषोतम खण्डेलवाल

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183,188 राज0टी0एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया किग्राम मनपसर पटवार हल्का मनपसर तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या 393 पुरानी 354 की खसरा नम्बरान कमशः 177 की 6 बीघा 16 बिस्वा, 311 की 1 बीघा, 323 की 1 बीघा 18 बिस्वा, 324 की 17 बिस्वा, 325 की 9 बिस्वा, 326 की 8 बिस्वा, 327 की 1 बीघा 5 बिस्वा,328 की 3 बीघा 8 बिस्वा, 335 की 3 बिस्वा, 340 की 1 बीघा 11 बिस्वा, 355 की 1 बीघा 11 बिस्वा, 739 की 4 बिस्वा, कुल 12 किता की 19 बीघा 10 बिस्वा आराजी वादनी के तन्हा खाते में दर्ज है। वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 739 की 4 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादीगण 1 व 2 जबरन कब्जा करके उक्त आराजी पर नीम खोदकर पक्का निर्माण कार्य करना चाहते है जिनका कि प्रतिवादीगण को कोई हक एवं अधिकार नहीं है जो बेहेसियत अतिकमी एवं बेदखल होने योग्य है। वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 739 की 4 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादीगण 1 व 2 अर्सा 6 माह पूर्व जबरन कब्जा कर लिया है और अब प्रतिवादीगण 1 व 2 उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 739 की 4 बिस्वा आराजी पर नीम खोदकर के पक्का निर्माण कार्य कर लिया तो वादनी को अपूर्णीय क्षति होवेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से धन द्वारा संभव नहीं हो सकेगी और वादनी को व्यर्थ ही मुकदमेंबाजी में उलझा रहना पडेगा। इसलिए वादनी प्रतिावदीगण 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। वर्णित आराजी के खसरा नम्बर 739 की 4 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि आज-कल में हम उक्त खसरा नम्बर 739 की 4 बिस्वा आराजी पर नीम खोदकर पक्का निर्माण कार्य करने की धमकी दिनांक 15.03.2020 को धमकी देने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ है। अतः

प्रतिवादीगण 1 ता 2 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। इस आशय बाबत वाद डिक्री किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादनी का कथन है कि ग्राम मनपसर पटवार हल्का मनपसर तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या 393 पुरानी 354 की खसरा नम्बरान क्रमशः 177 की 6 बीघा 16 बिस्वा, 311 की 1 बीघा, 323 की 1 बीघा 18 बिस्वा, 324 की 17 बिस्वा, 325 की 9 बिस्वा, 326 की 8 बिस्वा, 327 की 1 बीघा 5 बिस्वा,328 की 3 बीघा 8 बिस्वा, 335 की 3 बिस्वा, 340 की 1 बीघा 11 बिस्वा, 355 की 1 बीघा 11 बिस्वा, 739 की 4 बिस्वा, कुल 12 किता की 19 बीघा 10 बिस्वा आराजी वादनी के खातेदारी मे दर्ज है। वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 739 की 4 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादीगण 1 व 2 जबरन कब्जा कर रखा है। अतः प्रतिवादीगण 1 ता 2 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादनी को संभलाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वर्णित आराजी वादनी की खातेदारी आराजी है जिसपर प्रतिवादीगण का कब्जा बहैसियत है। वाद के प्रमाण मे नकल जमाबन्दी ग्राम मनपसर संवत 2070-73 की खाता संख्या नया 393, पुराना 354 पे T किया गया है जिसके अवलोकन से वाद वादनी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादनी डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मनपसर पटवार हल्का मनपसर तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या 393 पुरानी 354 की खसरा नम्बरान क्रमशः 177 की 6 बीघा 16 बिस्वा, 311 की 1 बीघा, 323 की 1 बीघा 18 बिस्वा, 324 की 17 बिस्वा, 325 की 9 बिस्वा, 326 की 8 बिस्वा, 327 की 1 बीघा 5 बिस्वा,328 की 3 बीघा 8 बिस्वा, 335 की 3 बिस्वा, 340 की 1 बीघा 11 बिस्वा, 355 की 1 बीघा 11 बिस्वा, 739 की 4 बिस्वा, कुल 12 किता की 19 बीघा 10 बिस्वा आराजी में से खसरा न0 739 की 4 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कब्जा करके पक्का निमार्ण कार्य ना तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे। वर्णित आराजी पर पैमाइश कर बाद पैमाइश यदि प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जावे तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा आराजी वादनी को नापकर संभलाया जावे। डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 सरे इजलास टंकण करवाया जाकर सुनवाया गया।

(श्री अभिषेक चारण आर०ए०एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

डिक्री मुकद्मात इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

**निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022**

प्रकरण सख्या 57/दावा/2020

तारीख दायरा 19.03.2020

उनवान

रोडीबाई पत्नी फुलचन्द जाति लोधा निवासी मनपसर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़

---- वादनी

बनाम

1. हेमराज पिता मांगीलाल जाति लोधा निवासी मनपसर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0
2. मांगीलाल पिता प्रभुलाल जाति लोधा निवासी मनपसर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

----- प्रतिवादीगण

वाद धारा 183,188 राज0टी0एक्ट

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ **अभिषेक चारण**(आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादी श्री पुरूशोतम खण्डेलवाल मिन जानिब मुद्दालय -------- ने पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:–

ग्राम मनपसर पटवार हल्का मनपसर तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या 393 पुरानी 354 की खसरा नम्बरान कमशः 177 की 6 बीघा 16 बिस्वा, 311 की 1 बीघा, 323 की 1 बीघा 18 बिस्वा, 324 की 17 बिस्वा, 325 की 9 बिस्वा, 326 की 8 बिस्वा, 327 की 1 बीघा 5 बिस्वा,328 की 3 बीघा 8 बिस्वा, 335 की 3 बिस्वा, 340 की 1 बीघा 11 बिस्वा, 355 की 1 बीघा 11 बिस्वा, 739 की 4 बिस्वा, कुल 12 किता की 19 बीघा 10 बिस्वा आराजी में से खसरा न0 739 की 4 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कब्जा करके पक्का निमार्ण कार्य ना तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे। वर्णित आराजी पर पैमाइश कर बाद पैमाइश यदि प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जावे तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा आराजी वादनी को नापकर संभलाया जावे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी कि गई।

(श्री अभिषेक चारण/आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़